दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, गुरुवार 01 जुलाई 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 271

महत्वपूर्ण एवं खास

यह व्यवस्था देश के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर : पीएम

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के चार साल पूरे होने के अवसर पर कहा कि यह व्यवस्था भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुई है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का एक पत्थर है। इसने करों की संख्या कम की है, अनुपालन बोझ के साथ ही आम आदमी पर कुल मिला कर करों का बोझ कम किया है जबकि पारदर्शिता, अनुपालन और संग्रह में खासी वृद्धि हुई है।

एरियर के साथ होगा केन्द्रीय कर्मचारियों के डीए का भुगतान

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन ने दावा किया है कि सरकार जनवरी एवं जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते की किश्त, इस वर्ष जुलाई की किश्त के साथ जोड़ कर सितंबर तक भुगतान करने पर सहमत हो गई है। संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद संगठन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि गत 26 एवं 27 जून को नार्थ ब्लॉक में नेशनल काउसिंल/जेसीएम की बैठक हुई जिसमें केन्द्र सरकार के कैबिनेट सचिव तथा कर्मचारी पक्ष के महासचिव के तौर पर वह स्वयं (शिवगोपाल मिश्रा) एवं अन्य नेता शामिल हुए। इस बैठक में लगभग 28 महत्वपूर्ण मुददों पर विस्तार से चर्चा हुई। मिश्रा ने बताया कि यह बैठक अत्यन्त महत्वपूर्ण रही क्योकि अन्य मुद्दों के साथ-साथ इस बैठक में पिछले डेढ़ वर्षो से सरकार द्वारा कोरोना महामारी के नाम पर केन्द्रीय कर्मचारियों के फ्रीज किये मंहगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत का मुद्दे पर विचार किया गया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में कैबिनेट सचिव के साथ वार्ता के बाद निर्णय हुआ कि सभी केन्द्रीय कर्मचारियो को पिछले डेढ वर्षो से उनकी महंगाई भत्ते/महंगाई राहत की जनवरी 2020, जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 की तीन किश्तें, जिन्हें सरकार ने फ्रीज कर दिया था, उन्हें जुलाई 2021 में देय किश्त के साथ जोडकर जुलाई एवं अगस्त 2021 के एरियर सहित सितम्बर 2021 के माह में भुगतान किया जाएगा। इसे कैबिनेट सचिव ने सहमति दे दी। मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट सचिव ने कहा है कि इसके भुगतान हेतु शीघ्रता पूर्वक कार्यवाही की जायेगी। जिससे सभी केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके बन्द महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी के बीच केन्द्रीय कर्मचारी जो अपनी जान की परवाह न करते हुए भी काम करते रहे और कइयों ने अपनी जान भी गवांई, ऐसे में उनको उनके जायज लाभो से वंचित करना सरकार का सर्वथा अनुचित कदम था।

देश 16 राज्यों के गांव गांव तक पहुंचेगा इंटरनेट

नई दिल्ली (आरएनएस)। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के 16 राज्यों में भारतनेट के लिए 19,041 करोड़ रुपये के वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 16 राज्यों के गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए पीपीपी मॉडल के जरिए भारतनेट कार्यान्वयन रणनीति को अनुमति दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन्फॉर्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचे इस दिशा में सरकार ने एतिहासिक फैसला लिया है। पिछली 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया था कि 1000 दिन में छह लाख गांवों में भारतनेट के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड लाएंगे। प्रसाद ने कहा कि आज इस दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। हम 1.56 लाख ग्राम पंचायतों में पहुंच चुके हैं। देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना था। आज भारत नेट को पीपीपी मॉडल के माध्यम से देश के 16 राज्यों में 29,432 करोड़ रुपये के कुल खर्च पर हमने मंजूरी दी है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें भारत सरकार की की ओर से वायबिलिटी गैप फंडिंग 19,041 करोड़ रुपये की होगी। ये हम देश के तीन लाख 61 हजार गांवों में जो 16 राज्यों में हैं वहां पीपीपी मॉडल के माध्यम से ला रहे हैं। हमने इसे 16 राज्यों में नौ पैकेज बनाया है। किसी एक प्लेयर को चार पैकेज से अधिक नहीं मिलेगा।

डिजिटल इंडिया के लिए पीपीपी मॉडल पर कैबिनेट की मुहर, विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए तीन लाख करोड़ मंजूर

» यूपी सहित 16 राज्यों में ब्राडबैंड के लिए 19 हजार करोड़ के बजट पर कैबिनेट की मुहर

» आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में पंजीकरण की अवधि बढ़ी

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश के सभी गांवों को डिजिटल इंडिया से जोडने के लिए मोदी सरकार ने पीपीपी मॉडल पर मुहर लगाई है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भारत नेट परियोजना के तहत16 राज्यों में ब्रॉडबैंड सिस्टम पहुंचाने के लिए 19041 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है। बैठक में विद्युत क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पंजीकरण की अवधि को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद दूर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार डिजिटल इंडिया के अभियान के तहत देश के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड सेवा से जोडने के लिए कृतसंकल्प है। कैबिनेटकी बैठक में उत्तर प्रदेश सहित 16 राज्यों में भारत नेट परियोजना के तहत सार्वजनिक भागीदारी योजना (पीपीपी) मॉडल के तहत आगे बढने का फैसला किया गया। इस मद में 29430 करोड़ खर्च होंगे। इसमें केंद्र सरकार के 19,041 रुपये के हिस्से को बैठक में मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि 16 राज्यों के लगभग 3,60,000 गांवों को कवर करने के लिए कुल खर्च 29,430 करोड़ रुपये होगा। अगले 1000 दिनों में देश के छह लाख गांवों को ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ दिया जाएगा। इस योजना के तहत अब तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इस सेवा से जोड़ा जा चुका है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, असम, सहित 16 राज्यों को मिलेगा। सरकार जल्द ही अन्य राज्यों को भी इसी आधार पर सुविधा का लाभ देगी।

❐ **आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पंजीकरण तारीख बढ़ी-** कैबिनेट की बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पंजीकरण की तारीख को 30 जून से बढ़ा कर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। सरकार का अनुमान है कि इसके कारण पहले से अनुमानित 58.5 लाख रोजगार की तुलना में 71.8 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। सरकार इस महीने की 18 तारीख तक इस मद में प्रतिष्ठानों को 902 करोड़ रुपये की सहायता दे चुकी है। सरकार का अनुमान है कि इस योजना में 22998 करोड़ रुपये खर्च होंगे। गौरतलब है कि इस योजना के तहत सरकार पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या के आधार पर पीएफ मद का नियोक्ता और कर्मचारियों के अनुदान खुद वहन कर रही है।

❐ **विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए 3.03 लाख करोड़-** सरकार की योजना पूरे देश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की है। इसके लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। जल्द से राज्य सरकारों से इस संबंध में प्लान मांगा जाएगा। विद्युत मंत्री आरके सिंह ने बताया कि बड़े शहरों में ऑटोमेटिक सिस्टम लागू किया जाएगा। पुरानी एचटी-एलटी लाइन को बदला जाएगा। गरीबों को प्रतिदिन रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देशभर में मांग के अनुरूप प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

❐ **वित्त मंत्री की घोषणा पर भी मुहर-** कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री की ओर से कोरोना के कारण 6.28 लाख करोड़ की मदद पर भी सहमति दी गई है। इसके अलावा इस साल नवंबर तक देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने केलिए 93 हजार करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है।

कोरोना के दैनिक मामलों में फिर मामूली वृद्धि

» बीते एक दिन में मिले 45,951 नए मामले, 817 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार-चढ़ाव जारी की है। देश में एक दिन में कोविड-19 के 45,951 नए मामले सामने आए और इसी दौरान 817 मरीजों ने कोरोना वायरस के आगे दम तोड़ा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 3,03,62,848 पर पहुंच गई जबकि एक दिन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगातार तीसरे दिन 1,000 से कम रही। बीते 24 घंटे में 817 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 3,98,454 हो गई है। एक दिन में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की यह संख्या 81 दिनों में सबसे कम है।

❐ **सक्रिय मरीजों का संख्या में भारी कमी-** देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 5,37,064 हो गई है जो संक्रमण के कुल मामलों का 1.77 प्रतिशत है जबकि कोविड-19 से उबरने की दर 96.92 प्रतिशत है। मंगलवार तक कोविड-19 के लिए 19,60,757 नमूनों की जांच की गई और इसी के साथ अब तक की गई नमूनों की जांच की संख्या 41,01,00,044 हो गई है जबकि दैनिक संक्रमण दर 2.34 प्रतिशत दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि लगातार 23 दिनों से यह दर पांच प्रतिशत से कम है। साप्ताहिक संक्रमण दर भी कम होकर 2.69 प्रतिशत हो गई है।

कोरोना से मौत पर परिजनों को मिलेगा मुआवजा : सुप्रीम कोर्ट

» राशि तय करे सरकार, 6 हफ्ते में गाइडलाइन बनाएं

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना से जान गंवाने वाले के परिजनों को मुआवजा देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए, हालांकि यह राशि कितनी होगी। इसका निर्धारण केंद्र सरकार ही करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह कोविड.19 के कारण मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए 6 सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश तैयार करे। याचिका में चार लाख रुपए की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दियाए जिसमें कहा गया था कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को ऐसी कोई अनुग्रह राशि नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने अपनी ओर से मुआवजे की कोई राशि तय नहीं की, बल्कि उसने कहा कि एनडीएमए के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा यह राशि निर्धारित की जाएगी। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से हुई मौतों पर चार लाख रुपये मुआवजा देने की मांग नहीं मानी। दरअसल केंद्र ने कोरोना पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने के अनुरोध वाली याचिकाओं का विरोध किया था। केंद्र ने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसके साथ राजकोषीय सामर्थ्य का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन राष्ट्र के संसाधनों का तर्कसंगतए विवेकपूर्ण और सर्वोत्तम उपयोग करने के मद्देनजर कोविड से जान गंवाने वालों के परिवारों को चार लाख की अनुग्रह राशि प्रदान नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून को उन दो जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया थाए जिसमें केंद्र और राज्यों को कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को कानून के तहत 4.4 लाख रुपये मुआवजा देने और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समान नीति बनाने का अनुरोध किया गया था।

एलोपैथी बनाम आयुर्वेद, रामदेव की याचिका पर पांच जुलाई को सुनवाई

» न्यायालय ने मांगा बयान का असल वीडियो

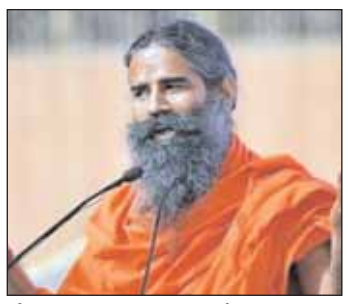

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को बाबा रामदेव से कहा कि वह कोविड.19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल पर अपने बयान का मूल रिकॉर्ड पेश करें। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने योग गुरू की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से पूछा, असल में उन्होंने क्या कहा था। आपने सारी बातें पेश नहीं की है। रोहतगी ने पीठ को बताया कि वह प्रतिलिपि के साथ मूल वीडियो पेश करेंगे।

इस पर पीठ ने कहा कि क है। इसी के साथ उसने को पांच जुलाई के लिए स्थगित कर दिया। न्यायालय बाबा रामदेव की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कोविड.19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवा के इस्तेमाल के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर बिहार और छत्तीसगढ़ में भारतीय चिकित्सा संघ ;आईएमए द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई कई प्राथमिकियों के संबंध में कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। आईएमए की पटना और रायपुर इकाई ने रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि कोविड.19 नियंत्रण प्रक्रिया में उनकी टिप्पणियों से पूर्वाग्रह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और यह लोगों को महामारी के खिलाफ उचित इलाज के प्रति हतोत्साहित कर सकती है। रामदेव ने अपनी याचिका में पटना तथा रायपुर में दर्ज प्राथमिकियों को दिल्ली स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया है। वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई के दौरान रोहतगी ने पीठ से कहा कि रामदेव एक प्रतिष्ठित शख्स हैं और योग तथा आयुर्वेद के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम के दौरान रामदेव ने व्हाट्सऐप पर आए एक संदेश को पढ़ा था, जो उन्हें भेजा गया था। रोहतगी ने कहा कि रामदेव ने स्पष्ट किया है कि उनके दिल में डॉक्टरों तथा किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं है। अलग.अलग स्थानों पर उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन शिकायतों को दिल्ली स्थानांतरित किया जाए।

रोहतगी ने कहा कि पिछले साल जब पतंजलि कोरोनिल लेकर आई थी तो एलोपैथिक डॉक्टर उनके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने कहा कि वह रामदेव उनके खिलाफ नहीं हैं। उन्हें इतनी सारी जगहों पर क्यों जाना चाहिए। हर किसी को बोलने की आजादी है। रामदेव पर भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन कानून 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि बाबा रामदेव के कथित बयान से देश में एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस शुरू हो गई थी। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा टिप्पणी को अनुचित करार दिए जाने और पत्र लिखने के बाद बाबा रामदेव ने 23 मई को अपना बयान वापस ले लिया था।

जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की कवायद तेज

» छह जुलाई से परिसीमन आयोग का तीन दिवसीय दौरा

» जल्द हो सकते हैं विधानसभा चुनाव

नई दिल्ली (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक के बाद परिसीमन आयोग छह जुलाई से नौ जुलाई तक जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगा। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी देते हुए यह भी बताया गया कि परिसीमन आयोग छह जुलाई से नौ जुलाई तक यात्रा के दौरान जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ वार्ता करेगा। इसके अलावा परिसीमन आयोग वहां के प्रशासनिक अफसरों और आईजी स्तर के अधिकारियों से भी मुलाकात करेगा। आयोग जल्द से जल्द सीटों का परिसीमन करने की कवायद में जुटा है। सीटों के परिसीमन के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव का एलान होगा। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता के अनुसार आयोग को उम्मीद है कि सभी पक्ष इस कार्य में सहयोग करेंगे और उपयोगी सुझाव देंगे, ताकि परिसीमन का काम समय पर पूरा हो सके। जम्मू-कश्मीर के संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निधारण की जिम्मेदारी परिसीमन आयोग को सौंपी गई है।

महिला आयोग ने एक सप्ताह में एक्शन लेने को कहा, ट्विटर पर पोर्नोग्राफी का मामला

नई दिल्ली (आरएनएस)। ट्विटर पर अश्लील सामग्री परोसने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए ट्विटर को इस मामले में एक हफ्ते के अंदर एक्शन लेने के लिए कहा है।

महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को लिखित रुप से कहा है कि एक हफ्ते के अंदर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी अश्लील सामग्रियों को हटाया जाए। इस मामले में आयोग ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को लिखित रुप से कहा है कि ट्विटर पर अश्लीलता परोसने की गहनता से जांच की जाए और इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाए। आयोग ने ट्विटर को फटकार लगाया है। आयोग ने माना है कि इस मामले से संबंधित शिकायत पहले से मिलने के बावजूद ट्विटर ने इसपर कोई एक्शन नहीं लिया। ट्विटर के इस रवैये पर चिंता जताते हुए आयोग ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंधित सामग्रियों को परोस कर ट्विटर ने ना सिर्फ भारतीय कानून का उल्लंघन किया है बल्कि अपनी नीतियों का भी उल्लंघन किया है। आयोग ने ट्विटर से कहा है कि वो सभी अकाउंट जिनके जरिए ऐसे कंटेंट शेयर किये जाते हैं उन्हें अविलंब हटाया जाए। बता दें कि इससे पहले अश्लील कंटेंट परोसने के मामले में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को नोटिस जारी कर उसके प्लेटफॉर्म पर बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री प्रसारित किए जाने के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ट्विटर को मंगलवार को नोटिस भेजा गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ट्विटर के संबंधित अधिकारियों से उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्रियों के खिलाफ उठाए गए कदमों और ऐसी सामग्री प्रसारित करने वाले खातों के बारे में जानकारी देने के लिये कहा है।

दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की शिकायत पर एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें उसपर आरोप है कि उसने अपने मंच पर बाल पोर्नोग्राफी तक पहुंच की अनुमति दी है। पुलिस ने कहा कि भारतीय दंड संहिता, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा कानून (पॉक्सो) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। नोटिस दिए जाने से पहले, आयोग ने पुलिस उपायुक्त (साइबर प्रकोष्ठ) अन्येष रॉय से पूछा था कि 29 मई को दिल्ली पुलिस को लिखे गए पत्र के अनुसार ट्विटर के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पत्र में आयोग ने दिल्ली पुलिस से ट्विटर के विरुद्ध मामला दर्ज करने को कहा था। हाल में आयोग द्वारा की गई जांच में पाया गया था कि बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सामग्री ट्विटर पर आसानी से उपलब्ध है, जिसके आधार पर मामला दर्ज करने को कहा गया था।